

10 / 4 / HP / 2-4017 / R.O.
18/3/17
April 18/3/17

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

(प्रारूप-2क)

(देखें नियम-4)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन 2014

नीचे भाग-I या भाग-II, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-I

(मान्यत प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 34 सासाराम जिला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम देवी पासवान

पिता/भ्राता/प्रति का नाम शुभ रामचन्द्र पासवान

उसका डाक पता 200+पोस्ट-तखिया, धाना-सासाराम जिला-रोहतास

उसका नाम 208, सासाराम विधान सभा

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०- 95 में क्रम सं० 402 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम शुभ नारायण पासवान है जो 34 सासाराम जिला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा 204 सोडनिपाँ, सासाराम विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०- 186 में क्रम सं० 119 पर प्रविष्ट है।

तारीख 18.03.2014

शुभ नारायण पासवान
(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग-II

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि लोक सभा के निर्वाचन के लिए _____
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम.....

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र*
(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०-..... में
क्रम सं०..... पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस
नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर :-

क्र० सं०	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	घटक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्या	उस भाग में क्रम सं०			
1	2	3	4	5	6	7
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कृपया ध्यान दें: प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के दस निर्वाचक होने चाहिए।

अधिसूचना सं०-एस०ओ०५५८ (ई०) दिनांक ०९.०८.९६ द्वारा प्रतिस्थापित

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

भाग-III

में भाग-1/भाग-11 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है,
(नीचे ख (i) या ख (ii) में से जो लागू न हो उसे काट दें)

या

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपर्युक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में शुभ दल द्वारा खड़ा किया गया है जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है/मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान-क्रम में (i) शुभ (ii) शुभ (iii) शुभ है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवनागरी (हिन्दी) (भाषा के नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विवास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने हेतु चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं दुसाध **जाति/जन्मजाति का सदस्य हूँ जो बिहार राज्य के उस राज्य में के अधिसूचित (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित

***जाति/जन्मजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए एक साथ निर्वाचन कराए जा रहे आम निर्वाचन/उप-निर्वाचनों में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में *** नामनिर्दिष्ट किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 18.03.2014

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

'जम्मू-कश्मीर, अंदमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में 'में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र' शब्दों को काट दें।

+ यदि लागू न हो तो इस कठिका को काट दें।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

** लागू न होने वाले शब्दों को काट दें।

@ जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

'मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल' से अभिप्रेत है निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा संबद्ध राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।

'लागू न होने वाले शब्दों को काट दें'

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

भाग-III (क)

(अभ्यर्थी द्वारा करा जाएगा)

क्या अभ्यर्थी को -

(I) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-8 क की

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

हैं/नहीं नहीं

(II) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) वाद/प्राथमिकी संख्या..... 21-4

(ii) थाना(थाने)..... 21-4 जिला(जिले)..... 21-4

राज्य..... 21-4

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और उस/उन अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था।..... 21-4

(iv) सिद्धदोष ठहराए जाने की तारीख (तारीखें)..... 21-4

(v) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय..... 21-4

(vi) अधिरोपित दंड कारावास की अवधि और/या जुर्माने की रकम का उल्लेख करें..... 21-4

(vii) कारावास से विमुक्ति की तारीख(तारीखें)..... 21-4

(viii) क्या उपर्युक्त सिद्धदोष (सिद्धदोषों) के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण आवेदन दायर की गई थी..... 21-4

हाँ/नहीं

(ix) दायर किए गए अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण-आवेदन(आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियों..... 21-4

(x) उस न्यायालय(न्यायालयों) के नाम जिसके/जिनके समक्ष अपील/पुनरीक्षण -आवेदन दायर किए हों..... 21-4

(xi) क्या उक्त अपील/पुनरीक्षण-आवेदन(आवेदनों) का निष्पादन हो गया है/अभी लंबित है..... 21-4

(xii) यदि उक्त अपील/पुनरीक्षण-आवेदन निष्पादित हो गए हो तो-?

(क) निष्पादन की तारीख(तारीखें)..... 21-4

(ख) पारित आदेश (आदेशों) का स्वरूप..... 21-4

स्थान: ममुआ



(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

तारीख: 18.03.2014

भाग-IV

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रमांक 10
यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में 18/03/2014 (तारीख) को 24.17 (बजे)
अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 18.3.2014

[Signature]
18/3/14
रिटर्निंग आफिसर

*लागु न होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग- V

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का
विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर
लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

भाग-VI


नामनिर्देशन पत्र के लिए पावती रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं० 10 का, जो 34-सासाराम (अ0जा0)
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, नामनिर्देशन पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में 18/03/14
(तारीख)की 24.17 (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया। सभी
नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 21/03/14 (तारीख) को 11.00 (बजे) समाहरणालय, कैमूर
(मभुआ) निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय प्रकोष्ठ में की जाएगी। 24.17

तारीख 18.3.2014

[Signature]
18/3/14
रिटर्निंग ऑफिसर



REGISTRATION, EVIDENCE & PROHIBITION DEPT.
MONTAGU GOUDRE BAZAR AM



00000

BIHAR
JUDICIAL

8247 2176860

COURT शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप 15.3.2014

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 (क)) BIHAR
सदीय क्षेत्र निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

..... जो लोक सभा में एक स्थान को भरने के लिए
अभ्यर्थी के रूप निर्देशित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता
कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और
भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री/श्रीमती दशरथ पाण्डेय
आज दिनांक 18 माह 03 2014 को निर्वाचन क्षेत्र
स्थान) पर बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा
प्रतिज्ञान किया।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम पदनाम और मुहर

शपथ-प्रपत्र की प्राप्ति के लिए प्रमाण-पत्र
(प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को दिया जायेगा)
प्रमाणित किया जाता है कि लोक सभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी श्री दशरथ पाण्डेय
..... (नाम) ने (दिनांक) 18/03/2014
बजे मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथा अपेक्षित शपथ ली/प्रतिज्ञान किया
और उस पर हस्ताक्षर किए।

दिनांक :-

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम पदनाम और मुहर

Check List of documents in connection with filing of nomination

Name of Constituency:

Name of candidate:

Date and time of filing nomination paper:

Sl. No. of nomination paper

S.No	Documents	Whether filed (write yes/no) (if there is any defect/ shortcoming in the documents, the same should be specified)
1	Affidavit in Form 26.... (a) Whether all columns are filled up. (b) if not, which are blank column(s) (Please specify): (c) Whether the affidavit is sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of First Class or before a Notary Public.	
2	Certified extract of electoral roll (when candidate is an elector of a different constituency)	
3	Forms A and B (applicable in the case of candidates set up by political parties.	
4	Copy of caste certificate (if the candidate claims to belong to SC/ST)	
5	Security deposit (whether made)	
6	Oath / affirmation (whether taken)	

The following documents which have not been filed should be filed as indicated below:

- (a).....should be filed latest by
- (b) above mentioned columns in the affidavit in Form 26 have been left blank. You must submit a fresh Affidavit with columns duly filled up before the commencement of scrutiny of nominations, failing which the nomination paper will be liable to be rejected.
- (c)should be filed latest by.....

Received.

.....

.....

Signature of RO/ ARO

(Signature of candidate)

Date;

PLACE:

N.B

1. The affidavit in Form 26 and Forms A & B have to be filed latest byP.M on the last date of filing nominations.
2. The nomination paper will be rejected if a candidate fails to fill the blanks in Form 26 even after reminder by RO by the hour fixed for scrutiny of nomination paper.
3. Oath has to be taken after filing nomination paper and before the date fixed for scrutiny.
4. Certified extract of electoral roll can be filed up to the time of scrutiny.
5. Security deposit should be made either before filing of nomination paper or at the time of filing of nomination paper. Therefore, there is no question of issuing notice for making the security deposit.

REQUEST FORM

For contact details of candidates standing in

Parliamentary/ Assembly Elections. ~~2009~~ 2014

- 1- No. and Name of Parliamentary/ Assembly Constituency: 34, SASARAM S.C.
- 2- Full name of candidate : CHHEDI PASWAN
- 3- Sex : male
- 4- Age : 58 years
- 5- Party : Bhartiya Janta party
(mention independent if not set-up by political party) :
- 6- City/ area of native place : Takiya Besar Sasaram
Please enter your contact details below :
- 7- Full address : Vill-P.O. Takiya Sasaram
Dist- Rohitao Bihar
- 8- Landline phone no. :
- 9- Mobile phone no. : 9934774400
- 10- Email address (if any) : Not
- 11- Website address (if any) : Not



अनुसूची 14 - धारा 511.

V196997

दिनांक संख्या वर्ष 19 २०१३-१४

नियमित प्राप्त हुआ डॉ. चोरी पासवान

दिनांक पिला - दसहू, रामचंद्र पासवान

ग्राम + पोस्ट - गोकिया

थाना - सायाराम, जिला - रोहतास

नामोकेन मुलक

लोक सभा निर्वाचन २०१४ 12,500/-

34 सायाराम (मकान)

रकम के रूप में

रुपय 12500/-

(बारह हजार पांच सौ मात्र)
(केवल रूपय में)

(Signature)

प्राप्त करनेवाला पदाधिकारी :

13/03/2014

कार्यालय



बिहार सरकार

GOVERNMENT OF BIHAR

फॉर्म - II

कार्यालय का नाम

जिला : रोहतास, अनुमंडल : सासाराम, प्रखंड : सासाराम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

आवेदन संख्या : 040718322151404572

दिनांक : 12/03/2014

प्रमाण-पत्र संख्या : C/14/05248

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी CHHEDI PASWAN Sri/Smt./Kumari CHHEDI PASWAN पुत्र/पुत्री/पत्नी LATE RAM CHANDRA PASWAN Son/Daughter/Wife LATE RAM CHANDRA PASWAN गाँव/शहर TAKIYA Village/Town TAKIYA पोस्ट ऑफिस TAKIYA थाना SASARAM अनुमंडल सासाराम जिला रोहतास राज्य बिहार दुसाध समुदाय के सदस्य है, जो कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूचि (मोडिफिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 एवं समय-समय-पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूचि में अनुक्रमांक 11 पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी CHHEDI PASWAN पुत्र/पुत्री LATE RAM CHANDRA PASWAN अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की है।

श्री/श्रीमती/कुमारी CHHEDI PASWAN एवं उनका परिवार गाँव/शहर TAKIYA प्रखंड सासाराम पोस्ट ऑफिस TAKIYA थाना SASARAM अनुमंडल सासाराम जिला रोहतास राज्य बिहार में निवास करते हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)



पत्रांक -

दिनांक -

प्रेषक -

कारिगारक शिवालय
कम प्रदपथ, १०१-०-१२०
मुंबई-४, पिन-८०००२३

सेवा में

अवर सचिव (लेखा)
विहार विधान सभा
पटना

विषय - चुक्का प्रमाण पर निर्णय करने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री
देवी पापवार माननीय पूर्व मंत्री विहार पत्रा उपा धारि
रारकरने अर्थात् पुराना जैत अधीनस्थ आगा पत्रा (कज्जुका)
का दिनांक २६-०२-१५ तक अन्तत दिनांक एवं निर्णय कर ही राख
जमा करने के उपरान्त उक्त तिथि तक का चुक्का प्रमाण
पत्र निर्णय दिया जाय श्री पापवार उक्त अन्तत में आगापि

विश्वास भाजन

ई।

कारिगारक शिवालय
कम प्रदपथ, १०१-०-१२०
मुंबई-४, पिन-८०००२३

आपका - 936

दिनांक - 12/3/14

प्रतिलिपि - श्री देवी पापवार माननीय पूर्व मंत्री को प्रेषित
एवं आवश्यक कारक हेतु प्रेषित

कारिगारक शिवालय
कम प्रदपथ, १०१-०-१२०
मुंबई-४, पिन-८०००२३

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या:- पुस्तक-13/2009/565/वि0स0 ।

प्रेषक,

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह
उप सचिव,
बिहार विधान सभा पटना ।

सेवा में,

श्री छेदी पासवान
माननीय सदस्य
बिहार विधान सभा पटना ।

पटना, दिनांक 10 मार्च, 2014 ई0 ।

विषय:- मांग रहित प्रमाण पत्र के संबंध में ।

महाशय,

आपके पत्र दिनांक 6.3.2014 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि आपके नाम बिहार विधान मंडल पुस्तकालय की कोई पुस्तक लंबित नहीं है ।

विश्वासभाजन

२८.३.१४
(नरेन्द्र कुमार सिंह)

उप सचिव

बिहार विधान सभा पटना ।

niku
08-03-14

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं०-3 लेखा-204/10- 837 /वि०स० ।

प्रेषक,

श्री अवधेश कुमार गिरि,
अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

श्री/श्रीमती छेदी पासवान,

⑨ सदस्य/सदस्या, बिहार विधान सभा, पटना ।

क्षेत्र सं०-204

पटना, दिनांक- 11/3/14

विषय:- दूरभाष एवं मोबाईल संबंधी माँग रहित/सहित प्रमाण-पत्र के संबंध में ।

निदेशानुसार आपके पत्रांक-704आ. का. दिनांक 6.3.14 के संदर्भ में सूचित करना है कि सभा सचिवालय द्वारा पत्र निर्गत की तिथि तक दूरभाष एवं मोबाईल के मद में आपके पास अंक- अबतक कार्यालय अभिलेख के अनुसार कोई ~~खर/मसाला है।~~ बकाया नहीं है ।

विश्वासभाजन

(अवर सचिव)
अवर सचिव, 11/3/14


बिहार विधान सभा, पटना ।

श्री
11/3/14

विद्युत आपूर्ति प्रमंडल

डाक बंगला, पेसू, पटना

प्रमाणित किया जाता है कि विद्युत विपत्र उपभोक्ता संख्या-118520, जो माननीय छेदी पासवान, विधायक के नाम है उक्त विपत्र पर माह फरवरी-2014 तक कुल राशि 53,688.00 रूपया लम्बित है, जिसके भुगतान हेतु बिहार विधान सभा से अनुरोध किया गया है। उक्त भुगतान बिहार विधान सभा द्वारा किया जाना है।

 11/03/14

सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व)

सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व)
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, डाकबंगला

बिहार विधान-सभा सचिवालय
:

पत्र सं: 10 लेखा-3/2011-759 /वि0स0।

प्रेम्क,

श्री प्रदीप कुमार राय,
अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना ।

लेवा में,

श्री मैत्री पालवान,
सि0वि0स0, क्षेत्र संख्या-204
आवास-पुराना कारा अधीक्षक आवास
ठज्जुबाग, पटना ।

पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2014 ई0।

विषय:- मोटरकार अग्रिम का गौण राहित/सहित प्रमाण- पत्र के संबंध में ।
महाराष्ट्र,

निदेशानुसार सूचित करना है कि 15 वीं विधान सभा की अवधि में आपको स्वीकृत मोटरकार अग्रिम अंके 8,00,000/- आठ लाख रूपया में से आपके वेतन विपन्न माह सितम्बर 2011 से फरवरी, 2014 तक 30 तिमासिक किस्तों में अंके 17,500/- सत्रह हजार पाँच सौ रूपया प्रतिमाह की दर से कुल अंके-5,25,000/- पाँच लाख पच्चीस हजार रूपया मात्र की वसूली की जा चुकी है ।

कुल मूलधन अंके 8,00,000=00 आठ लाख रूपया में से अंके 5,25,000=00 पाँच लाख पच्चीस हजार रूपया समायोजन के पश्चात् अंके 2,75,000=00 दो लाख पचहत्तर रूपया मूलधन के साथ-साथ देय सूद भी आपके विरुद्ध बकाया रह गया है ।

उल्लेखनीय है कि सूद की गणना निर्धारित कटौती के पश्चात् महालेखाकार कार्यालय, बिहार के द्वारा की जाती है ।

विशवात्मजन

14.3.14

श्री प्रदीप कुमार राय

अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना ।

श्री
14.3.14